

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान

(1) अनुग्रह अनुदान/जीवन निर्वाह हेतु प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम (स्पष्ट शब्दों में).....
2. आयु.....
3. पूरा पता.....
4. बच्चों /आश्रितों की संख्या (पुरुष, महिला और उनकी आयु सहित).....
5. प्रार्थी/प्रार्थिनी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध.....
6. कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम.....
7. कैज्युअल्टी का दिनांक.....
 - (अ) कैज्युअल्टी की प्रकृति (मृत्यु/अपंगता)
 - (ब) अपंगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र सहित)
 - (स) कैज्युअल्टी का स्थान:-
8. संरक्षक का नाम.....
 - (अ) व्यवसाय/धन्धे का विवरण:-.....
 - (ब) मासिक आय.....
9. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा कोई मिलिट्री/सिविल पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दे:-.....
10. क्या प्रार्थी/प्रार्थिनी किसी शिल्प (क्राफ्ट) में प्रशिक्षण प्राप्त करने का/की इच्छुक है ?
यदि हो तो उस प्रशिक्षण का प्रकार इंगित करें:-.....
11. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी को इससे पूर्व भी संस्थान द्वारा अनुग्रह अनुदान हेतु धनराशि स्वीकृत की गई हो तो उसका पूर्ण उल्लेख करें(प्राप्त का वर्ष दिनांक सहित).....
12. कितनी धनराशि की आवश्यकता है:-.....

दिनांक.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी का
हस्ताक्षर

13. आर्थिक सहायता हेतु सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक की संस्तुति (जितनी धनराशि इस मामले में वे देना उचित समझें उसका उल्लेख करें)

सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी
महानिदेशक के हस्ताक्षर मुहर सहित

नोट:- प्रार्थना-पत्र केवल सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक के माध्यम से ही उनकी संस्तुति एवं कालम 1 से 12 तक की प्रविष्टियों की पुष्टि सहित भेजे जायें अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।